# 2

# पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण

डॉ. पी. सी. गुप्ता रोली गुप्ता

DOI: https://doi.org/10.65651/NP.978-93-5857-988-8.2025.21-33

ISBN: 978-93-5857-988-8

**सार**

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है जो जमीनी स्तर पर शासन की स्थापना करती है। 73वें संविधान संशोधन (1992) के बाद से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। यह शोध पत्र पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और समाधानों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में पाया गया कि वित्तीय, प्रशासनिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के तीन स्तंभों पर कार्य करना आवश्यक है। मुख्य चुनौतियों में वित्तीय संसाधनों की कमी, क्षमतावान जनप्रतिनिधियों का अभाव, और पारदर्शिता की समस्याएं शामिल हैं। केरल, राजस्थान और ओडिशा के सफल मॉडल से यह स्पष्ट होता है कि ई-गवर्नेंस, सामाजिक अंकेक्षण और महिला भागीदारी के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाया जा सकता है। शोध का निष्कर्ष यह है कि त्रिआयामी स्वायत्तता और दीर्घकालिक नीति निर्माण के माध्यम से पंचायती राज को विकास का प्रथम सोपान बनाया जा सकता है।

**मुख्य शब्द:** पंचायती राज, विकेंद्रीकरण, सशक्तिकरण, महिला भागीदारी, ई-गवर्नेंस

**प्रस्तावना**

भारत में स्थानीय स्वशासन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक, गाँवों में पंचायतों का अस्तित्व रहा है, जो स्थानीय विवादों का निपटारा करती थीं और ग्रामीण जीवन को संचालित करती थीं। महात्मा गांधी ने इसी परंपरा को आधार बनाकर "ग्राम स्वराज" की अवधारणा दी, जिसके अनुसार गाँव ही भारतीय लोकतंत्र की मूल इकाई होनी चाहिए।स्वतंत्रता के बाद, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना के साथ उठाया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

की सिफारिश की, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत शामिल थे। राजस्थान पहला राज्य था जिसने 1959 में इस व्यवस्था को लागू किया। 1960 के दशक में अधिकांश राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हुईं, लेकिन धीरे-धीरे इनकी प्रभावशीलता में गिरावट आई। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी और नौकरशाही के हस्तक्षेप के कारण ये संस्थाएं कमजोर होती गईं। 1970 के दशक तक कई राज्यों में पंचायतें या तो भंग कर दी गईं या वे निष्क्रिय हो गईं।

इस स्थिति को सुधारने के लिए अशोक मेहता समिति (1977) का गठन किया गया, जिसने द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। इसके बाद जी.वी.के. राव समिति (1985) और एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने भी पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।राजीव गांधी सरकार के दौरान पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम 73वां संविधान संशोधन (1992) था। यह संशोधन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की। 24 अप्रैल 1993 को यह संशोधन प्रभावी हुआ, जिसे अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

## लोकतंत्र का विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन की आवश्यकता

लोकतंत्र का विकेन्द्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्ति और अधिकार केंद्र से स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित किए जाते हैं। भारत जैसे विविधताओं से भरे और विशाल देश में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था से सभी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान संभव नहीं था। स्थानीय आवश्यकताओं, परंपराओं और समस्याओं को समझने के लिए स्थानीय स्तर पर शासन की आवश्यकता महसूस हुई।विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता के मुख्य कारण थे: प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, जनता की शासन में सहभागिता बढ़ाना, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, ग्रामीण विकास में तेजी लाना, और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। केंद्रीकृत व्यवस्था में आम जनता का शासन से दूरी बना रहता था, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता था।स्थानीय शासन की आवश्यकता इसलिए भी जरूरी थी कि यह जमीनी स्तर पर नेतृत्व विकसित करता है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। 73वें संविधान संशोधन ने महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में क्रांतिकारी वृद्धि हुई।

विकेन्द्रीकरण से योजना निर्माण में भी सुधार आया। ग्राम सभा और पंचायतों के माध्यम से स्थानीय जरूरतों के आधार पर योजनाएं बनाई जाने लगीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, जल व्यवस्था, कृषि विकास जैसे क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं की प्रभावी भूमिका से बेहतर परिणाम आए।आर्थिक विकास की दृष्टि से भी विकेन्द्रीकरण महत्वपूर्ण है। स्थानीय संसाधनों की पहचान और उनका

उपयोग, कुटीर उद्योगों का विकास, रोजगार सृजन जैसे कार्यों में पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मनरेगा जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से संभव हुआ है। इस प्रकार, पंचायती राज व्यवस्था न केवल भारतीय परंपरा की निरंतरता है, बल्कि आधुनिक लोकतांत्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। यह व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

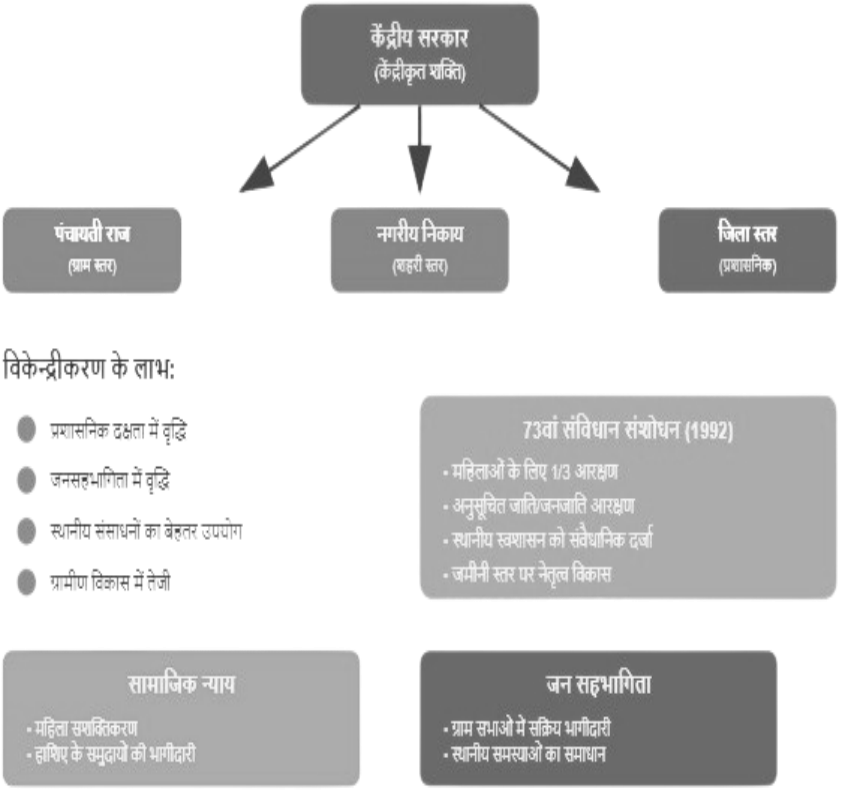


**चित्र 2.1: लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन**

## शोध विधि

यह अध्ययन मिश्रित शोध पद्धति पर आधारित है। द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण सरकारी रिपोर्ट्स, शोध पत्रों और नीतिगत दस्तावेजों के आधार पर किया गया है। गुणात्मक विश्लेषण के लिए केरल, राजस्थान और ओडिशा के केस स्टडी का उपयोग किया गया है। मात्रात्मक डेटा का संग्रह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सांख्यिकीय रिपोर्ट्स से किया गया है।

## पंचायती राज की संरचना और कार्यक्षेत्र

भारत की पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है, जो विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह तीनों स्तर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक समग्र विकास तंत्र का निर्माण करते हैं। ग्राम पंचायत इस व्यवस्था की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है, जहां गांव के लोग अपने मुद्दों पर सीधे चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। ग्राम सभा, जो सभी वयस्क मतदाताओं से मिलकर बनती है, ग्राम पंचायत की निर्णयकारी संस्था है। ग्राम प्रधान या सरपंच इसका मुखिया होता है, जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है।

मंडल या पंचायत समिति मध्यम स्तर की संस्था है, जो कई ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम करती है। इसे अलग-अलग राज्यों में अलग नामों से जाना जाता है - जैसे तालुका पंचायत, ब्लॉक पंचायत, या क्षेत्र पंचायत। यह स्तर ग्राम और जिला स्तर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। इसका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। जिला पंचायत सबसे ऊपरी स्तर है, जो पूरे जिले के लिए नीति निर्माण और समन्वय का काम करती है। यह मंडल पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करती है और जिला स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। जिला पंचायत का अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। यह त्रिस्तरीय संरचना "सब्सिडिएरिटी" के सिद्धांत पर काम करती है, जहां जो काम निचले स्तर पर हो सकता है, उसे ऊपरी स्तर पर नहीं भेजा जाता। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है और स्थानीय जरूरतों का बेहतर समाधान मिलता है।

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय निर्दिष्ट हैं, जो इनकी व्यापक जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं। योजना निर्माण पंचायतों की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है, जो स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं पर आधारित होती है। यह योजना सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास दोनों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन भी इसी के तहत होता है। जल और स्वच्छता क्षेत्र में पंचायतें पेयजल आपूर्ति, हैंडपंप की देखभाल, स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन, और गांव की सफाई की जिम्मेदारी संभालती हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के क्षेत्र में पंचायतें प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल भवनों का निर्माण और रखरखाव, शिक्षकों की नियुक्ति में सहयोग, और मध्याह्न भोजन योजना के संचालन की जिम्मेदारी निभाती हैं।पोषण कार्यक्रमों में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन, बाल विकास सेवाएं, और महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। कुपोषण की रोकथाम और मातृ-शिशु स्वास्थ्य में सुधार इनकी प्राथमिकता है।स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन, टीकाकरण अभियान, महामारी की रोकथाम, और परिवार नियोजन कार्यक्रम शामिल हैं।पंचायती राज व्यवस्था भारत के लोकतंत्र को

मजबूत बनाने और ग्रामीण विकास में तेजी लाने का एक प्रभावी माध्यम है। यह व्यवस्था न केवल शासन को जनता के करीब लाती है, बल्कि स्थानीय नेतृत्व विकसित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

**सशक्तिकरण के तीन स्तंभ: एक विस्तृत विश्लेषण**

**वित्तीय सशक्तिकरण: कर संग्रहण, निधियों का स्वामित्व-** वित्तीय सशक्तिकरण किसी भी संस्था या व्यक्ति के स्वावलंबन का मूलभूत आधार है। यह न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ाता है। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में, वित्तीय सशक्तिकरण का अर्थ है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को अपने वित्तीय संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो।कर संग्रहण के अधिकार से स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में संपत्ति कर, व्यापार कर, और सेवा शुल्क लगाने की क्षमता रखते हैं। यह उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की अनुदान राशि पर निर्भरता कम करने में सहायक होता है। जब स्थानीय निकाय अपने संसाधन स्वयं जुटाते हैं, तो वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनाओं को तैयार और क्रियान्वित कर सकते हैं।निधियों का स्वामित्व इस बात को सुनिश्चित करता है कि एकत्रित राजस्व का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। वित्तीय स्वायत्तता से स्थानीय निकाय शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, और बुनियादी ढांचे के विकास में तत्काल निवेश कर सकते हैं। यह न केवल जीवन स्तर में सुधार लाता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है।

**प्रशासनिक सशक्तिकरण: निर्णय लेने की स्वतंत्रता, कर्मचारियों की उपलब्धता-** प्रशासनिक सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि स्थानीय संस्थाओं को अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और उन्हें क्रियान्वित करने की शक्ति प्राप्त हो। यह केवल कागजी अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी प्रभावी होना चाहिए।निर्णय लेने की स्वतंत्रता में स्थानीय मुद्दों की पहचान, समाधान की योजना बनाना, और संसाधनों का आवंटन शामिल है। जब स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर समझते हैं, तो वे अधिक प्रभावी और लक्षित समाधान तैयार कर सकते हैं। यह केंद्रीकृत नीति निर्माण की तुलना में अधिक फलदायक साबित होता है।कर्मचारियों की उपलब्धता प्रशासनिक सशक्तिकरण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारी होने चाहिए जो विभिन्न विभागों में काम कर सकें। इनमें इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, लेखाकार, और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। जब तक मानव संसाधन उपलब्ध नहीं होते, तब तक सबसे अच्छी योजनाएं भी धरती पर नहीं उतर सकतीं।प्रशासनिक सशक्तिकरण से जवाबदेही भी बढ़ती है। स्थानीय प्रशासन सीधे नागरिकों के संपर्क में रहता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है।

## राजनीतिक सशक्तिकरण

**चुनाव, आरक्षण, महिला भागीदारी-** राजनीतिक सशक्तिकरण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आत्मा है। यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति का वितरण न केवल संस्थागत स्तर पर हो, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी न्यायसंगत हो।नियमित और निष्पक्ष चुनाव राजनीतिक सशक्तिकरण का आधार हैं। जब स्थानीय प्रतिनिधि प्रत्यक्ष मतदान से चुने जाते हैं, तो वे जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं। पांच साल की निश्चित अवधि के बाद चुनाव होना यह सुनिश्चित करता है कि गैर-प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों को हटाया जा सके और नई प्रतिभाओं को अवसर मिले।आरक्षण व्यवस्था राजनीतिक सशक्तिकरण का क्रांतिकारी पहलू है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से यह सुनिश्चित होता है कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज भी सुनी जाए। यह केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि वास्तविक शक्ति साझाकरण है।महिला भागीदारी राजनीतिक सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। 33% आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय राजनीति में समान भागीदारी का अवसर मिलता है। महिला नेतृत्व अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक कल्याण के मुद्दों को प्राथमिकता देता है। उनकी भागीदारी से न केवल निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचनाओं में भी परिवर्तन आता है।राजनीतिक सशक्तिकरण का अंतिम उद्देश्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को लगे कि उसकी आवाज सुनी जाती है और उसकी भागीदारी से वास्तविक परिवर्तन आ सकता है।

## चुनौतियाँ

### वित्तीय संसाधनों की कमी

वित्तीय संसाधनों की कमी भारतीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह समस्या केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय निकायों तक हर स्तर पर दिखाई देती है। राज्य सरकारों के पास अक्सर पर्याप्त बजट नहीं होता जिससे वे विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य, और अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की कमी के कारण जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ नहीं मिल पातीं। पंचायती राज संस्थानों की स्थिति और भी दयनीय है। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के पास अपने बुनियादी कार्यों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं होता। सड़कों की मरम्मत, पानी की व्यवस्था, और स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में वे असमर्थ रहती हैं। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धन अक्सर देर से मिलता है और कई बार राज्य सरकारें भी अपना हिस्सा समय पर नहीं देतीं।इस वित्तीय संकट का मूल कारण कर संग्रह की अक्षम व्यवस्था भी है। स्थानीय निकायों के पास कर लगाने और वसूलने के सीमित अधिकार हैं।

भ्रष्टाचार और कर चोरी की समस्या इस स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। परिणामस्वरूप, विकास परियोजनाएँ अधूरी रह जाती हैं और जनता की समस्याएँ बनी रहती हैं।

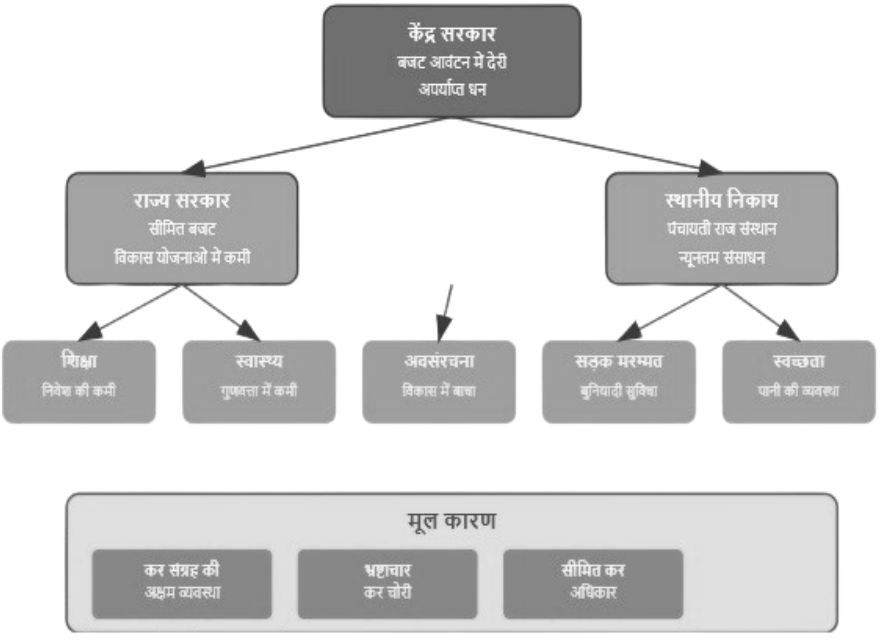


**चित्र 2.2: वित्तीय संसाधनों की कमी**

### क्षमतावान जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों का अभाव

भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि शासन-प्रशासन में ऐसे जनप्रतिनिधि और कर्मचारी हों जो योग्य, कुशल और उत्तरदायी हों। वर्तमान समय में इस दिशा में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राजनीति और प्रशासन में शिक्षित, अनुभवी तथा सेवा-भाव से प्रेरित लोगों की भागीदारी बढ़ाने से शासन व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सकती है। नीति निर्माण जैसे जटिल कार्यों के लिए आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विषयों की गहन समझ आवश्यक होती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और ज्ञानवर्धन के अवसर प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार, सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी आधुनिक तकनीकों, पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं और क्षमता-विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन सुधारात्मक प्रयासों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि, संसाधनों के बेहतर उपयोग और जनसेवा की गुणवत्ता में सुधार संभव है। यदि यह प्रवृत्ति निरंतर जारी रहती है, तो भारतीय लोकतंत्र और प्रशासन दोनों अधिक सक्षम, उत्तरदायी और जनहितैषी बनेंगे।

## पारदर्शिता और जवाबदेही की समस्याएँ

तीसरी और संभवतः सबसे गंभीर समस्या पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के सामने जवाबदेह हो। दुर्भाग्य से, भारत में यह जवाबदेही का भाव लगातार घट रहा है।सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ छुपाया जाता है। सरकारी फैसले अक्सर बंद कमरों में लिए जाते हैं और जनता को उनकी जानकारी नहीं मिलती। बजट का वितरण, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, और अधिकारियों की नियुक्ति जैसे मामलों में पारदर्शिता की कमी है।

## समाधान और नवाचार

### ई-गवर्नेंस और डिजिटल ग्राम पंचायतें

ई-गवर्नेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शासन प्रक्रिया का संचालन। डिजिटल ग्राम पंचायतों के माध्यम से यह अवधारणा ग्रामीण स्तर तक पहुंच गई है। इस व्यवस्था में पंचायतों के कामकाज को कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से संचालित किया जाता है।डिजिटल ग्राम पंचायतों में सभी रिकॉर्ड्स डिजिटल रूप में संग्रहीत होते हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं के लिए अब लोगों को कई बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से घर बैठे ही ये सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।ई-ग्राम स्वराज पोर्टल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पोर्टल पर पंचायतों की सभी गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध होती है। योजनाओं का क्रियान्वयन, बजट का उपयोग, विकास कार्यों की प्रगति सभी की रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ती है बल्कि भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से मनरेगा के तहत मजदूरों का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में होता है। इससे बिचौलियों का खत्म होना और भ्रष्टाचार में कमी आना प्रमुख लाभ हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राम सभा की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाता है। उपस्थिति, निर्णयों का विवरण और अनुपालन की स्थिति सभी डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहीत होता है। यह व्यवस्था जवाबदेही को बढ़ावा देती है।

### सामाजिक अंकेक्षण, प्रबंधन सूचना प्रणाली और पंचायत साक्षरता अभियान तथा जन-सुनवाई व बजट पारदर्शिता

सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुदाय के लोग स्वयं पंचायत के कार्यों की जांच करते हैं। यह एक सहभागी निगरानी प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन उचित तरीके से हो रहा है या नहीं। इस प्रक्रिया में ग्राम सभा के सदस्य मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं के तहत हुए कार्यों की गुणवत्ता, मात्रा और वास्तविकता की जांच करते हैं। यह जांच नियमित अंतराल पर की जाती है

और इसके परिणाम सार्वजनिक रूप से साझा किए जाते हैं। प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रणाली पंचायती राज संस्थानों में एक व्यवस्थित डेटाबेस का काम करती है। इसके माध्यम से योजनाओं की प्रगति, वित्तीय स्थिति, लाभार्थियों की जानकारी और कार्यों की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। यह प्रणाली निर्णय लेने में सहायक होती है और नीति निर्माताओं को सटीक जानकारी प्रदान करती है।पंचायत साक्षरता अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनता को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना है। इसके अंतर्गत लोगों को पंचायती राज व्यवस्था, सरकारी योजनाओं, सूचना का अधिकार (RTI) के अधिकार और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के बारे में शिक्षित किया जाता है।

**चित्र 2.3: कार्यान्वयन प्रक्रिया**

### जन-सुनवाई, पंचायत स्तर पर बजट पारदर्शिता

जन-सुनवाई एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों को अपनी समस्याओं और सुझावों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। पंचायत स्तर पर नियमित जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और तत्काल समाधान प्राप्त कर सकते हैं।बजट पारदर्शिता के तहत पंचायत का पूरा बजट सार्वजनिक किया जाता है। आय-व्यय का विवरण, योजनाओं के लिए आवंटित राशि, और उनका उपयोग - सभी की जानकारी नोटिस बोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती है। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जाता है और जनता का विश्वास बढ़ता है।ये सभी पहल मिलकर पंचायती राज व्यवस्था को अधिक जनोन्मुखी, पारदर्शी और प्रभावी बनाती हैं। डिजिटल तकनीक के साथ-साथ जन भागीदारी को प्रोत्साहित करके वास्तविक अर्थों में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की जा सकती है।

## केस स्टडी

### i. केरल की योजना ग्राम सभा मॉडल

केरल राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था में एक अनूठा नवाचार करते हुए योजना ग्राम सभा मॉडल विकसित किया है, जो जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह मॉडल 1996 में शुरू किए गए केरल के विकेंद्रीकरण अभियान का एक अभिन्न हिस्सा है।योजना ग्राम सभा की सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि यह प्रत्येक वार्ड स्तर पर नियमित रूप से आयोजित की जाती है। इसमें स्थानीय निवासी अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं और प्राथमिकताओं पर सीधे चर्चा करते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित समुदायों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।इस मॉडल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया है। प्रत्येक योजना ग्राम सभा में पिछली योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है और भविष्य की योजनाओं के लिए सुझाव दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।केरल के इस मॉडल की सफलता का प्रमाण यह है कि राज्य सरकार के कुल बजट का लगभग 35-40 प्रतिशत हिस्सा पंचायतों के माध्यम से खर्च किया जाता है। यह भागीदारी बजटिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां आम जनता सीधे तौर पर विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल होती है।

### ii. राजस्थान की महिला प्रधान नेतृत्व पहल

राजस्थान ने पंचायती राज संस्थानों में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। राज्य ने न केवल संविधान के 73वें संशोधन द्वारा निर्धारित 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया है, बल्कि कई अतिरिक्त पहल भी शुरू की हैं जो महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करती हैं। राजस्थान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहां महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में नेतृत्व विकास, वित्तीय साक्षरता, कानूनी जागरूकता और तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है। राज्य ने महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अलग से हेल्पलाइन भी स्थापित की है।राजस्थान में महिला सरपंचों की संख्या राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। राज्य में लगभग 60 प्रतिशत पंचायतों में महिला सरपंच हैं। इन महिला नेताओं ने जल संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।राज्य सरकार ने महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अलग से बजट आवंटन की व्यवस्था भी की है। इसके अंतर्गत महिला कल्याण, बाल विकास और सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक समानता स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

### iii. ओडिशा में पंचायत निधियों की पारदर्शिता प्रणाली

ओडिशा राज्य ने पंचायती राज संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली सरकारी फंड के उपयोग में

पूर्ण पारदर्शिता लाने का एक अभिनव प्रयास है।ओडिशा की पारदर्शिता प्रणाली का केंद्रीय तत्व ऑनलाइन फंड ट्रैकिंग सिस्टम है। इस सिस्टम के माध्यम से राज्य सरकार से लेकर ग्राम पंचायत तक के सभी स्तरों पर धन के हस्तांतरण और उपयोग की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध होती है। प्रत्येक लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।राज्य ने सामाजिक ऑडिट की एक मजबूत प्रणाली भी स्थापित की है। प्रत्येक ग्राम सभा में पंचायत के खर्च का विस्तृत हिसाब प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित सामाजिक ऑडिटर्स की टीम कार्य करती है जो स्वतंत्र रूप से सभी परियोजनाओं की समीक्षा करती है।ओडिशा की यह प्रणाली भ्रष्टाचार रोकने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुई है। राज्य में पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार की घटनाएं काफी कम हुई हैं। इस डिजिटल पारदर्शिता प्रणाली के कारण ओडिशा को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है और अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहे हैं।यह तीनों पहल भारत में पंचायती राज व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जो भविष्य में अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं।

## निष्कर्ष और नीति सुझाव

पंचायती राज की सफलता के लिए संस्थाओं की त्रिआयामी स्वायत्तता अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अधिकांश पंचायतें केवल नाममात्र की संस्थाएं हैं, जिनके पास वास्तविक शक्ति और अधिकार नहीं हैं।निर्णय की स्वायत्तता का अर्थ है कि पंचायतों को स्थानीय मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। वर्तमान में अधिकांश निर्णय राज्य सरकार या जिला प्रशासन के स्तर पर लिए जाते हैं, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की अनदेखी होती है। पंचायतों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, सड़क निर्माण और कृषि विकास जैसे विषयों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए।वित्तीय स्वायत्तता के बिना कोई भी योजना या निर्णय अधूरा रह जाता है। वर्तमान में पंचायतों को अपने बजट का एक छोटा हिस्सा ही स्वतंत्र रूप से खर्च करने की अनुमति है। उन्हें अपने संसाधन जुटाने, कर लगाने, और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार धन का आवंटन करने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली राशि के साथ-साथ, पंचायतों को स्थानीय व्यापार, संपत्ति कर, और अन्य स्रोतों से आय उत्पन्न करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।तकनीकी स्वायत्तता आज के डिजिटल युग में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पंचायतों के पास अपनी तकनीकी जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग, ई-गवर्नेंस का क्रियान्वयन, और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग शामिल है। तकनीकी स्वायत्तता से न केवल कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

पंचायती राज व्यवस्था को केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि विकास के प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सोपान के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए दीर्घकालिक सोच और रणनीतिक नीति निर्माण की आवश्यकता है।विकास का प्रथम सोपान होने का अर्थ यह है कि सभी विकास

योजनाओं की शुरुआत पंचायत स्तर से होनी चाहिए। वर्तमान में अधिकांश योजनाएं टॉप-डाउन अप्रोच से बनाई जाती हैं, जहां केंद्र या राज्य सरकार नीतियां बनाती है और पंचायतों को उन्हें लागू करने का काम दिया जाता है। इसके विपरीत, बॉटम-अप अप्रोच अपनाकर स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता देना आवश्यक है।दीर्घकालिक नीति निर्माण में 20-25 साल का विजन होना चाहिए। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, और पर्यावरण संरक्षण जैसे सभी क्षेत्रों के लिए व्यापक योजना बनानी चाहिए। नीति निर्माण में स्थानीय भौगोलिक, सामाजिक, और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है।इस दृष्टिकोण से पंचायती राज व्यवस्था न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देगी, बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब पंचायतें मजबूत होंगी, तो राज्य और केंद्र सरकारें भी मजबूत होंगी।

पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ व्यावहारिक कार्यान्वयन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। स्वायत्तता और दीर्घकालिक नीति निर्माण के इन दोनों पहलुओं पर काम करके ही भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक विकास लाया जा सकता है।

**संदर्भ**


- अहमद, ए., और कबीर, एस. (2025). पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का एक केस स्टडी। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ रिसर्च*, 9(2), 610578
- आलम, टी. (2025). पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व की दक्षता और चुनौतियाँ: कश्मीर घाटी का एक अध्ययन। *सेक्सुएलिटी, जेंडर एंड पॉलिसी*, 8(2), e70007
- कबीर, एस. (2025). पर्यावरणीय शासन के लिए ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण: राजौरी जिले में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल साइंसेज*, 11(1), 385-396।
- कुमार, चं. (2023). महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज: बिहार में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। *राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यवाही*, 7।
- कुमार, चं., और शर्मा, एम. (2023). पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति। *इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन*, 69(4), 877-902।
- कुमार, एम. ए. (2023). पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण: एक अवलोकन। *यथार्थवादी जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन प्रोग्रेसिव स्पेक्ट्रम्स*, 2(09), 54-59।
- कुमार, पी. (2024). गाँवों का सशक्तिकरण: गांधीवादी आदर्श और पंचायत राज की भूमिका। *अकादमिक विमर्श*, 13(1), 1-11।

- खान, आई. (2024). ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में पंचायती राज का महत्व: अंतर्दृष्टि और निहितार्थ। *महत्व*, 1(2)।
- गोस्वामी, खु. (2021). भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास के माध्यम से शक्तियों का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। *मनोविज्ञान और शिक्षा*, 58(2), 8856-8860।
- घोषाल, अ. (2022). भारत की जनगणना, 2011 के परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, *शोध प्रबंध*।
- दलाल, आर. एस., और ढिल्लों, एस. (2023). भारत में विकेंद्रीकृत शासन: पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में एक मूल्यांकन, *इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन*, 69(3), 638-650
- दास, मा. (2022). भारत में पंचायती राज संस्थाएँ। *गैलोर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़*, 6(2), 6-14
- पाल, बृ. (2023). भारत में ग्रामीण विकास पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रभाव का आकलन। *अकादमिक विमर्श*, 12(1), 26-37
- परवीन, शि., और हुसैन, एम. आई. (2024). महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण: 1993 से 2024 तक भारत में पंचायत राज संस्थाओं पर एक अध्ययन। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस*, 6(1), 342-345
- हक, अ. (2020). भारत में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी*, 11(10), 1827-1840
- शर्मा, अ., और हांडा, एस. (2022). पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण। *एशियन जर्नल ऑफ एप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी*, 6(3), 35-38
- सफीरा, कं., और हिलाल, ए. (2024). पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: राजौरी जिले का एक सर्वेक्षण। *लाइब्रेरी ऑफ प्रोग्रेस-लाइब्रेरी साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर*, 44(3)
- तिरुपति, एल., ऐजाज़, एस., और भास्कर, के. (2021). समानांतर निकायों का निर्माण भारत में पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी कामकाज को कमजोर कर रहा है। *यूरोपियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टडीज*, 5(1)
- उल्लाह, अ. (2020). भारत की पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च*, 9(12), 5